रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

(114)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28, 1984/वैसाख 8, 1906
No. 136] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28, 1984/VAISAKHA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल 1984

सा० का० नि० 311 (अ):—केन्द्रीय सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को हरियाणा राज्य में यथाप्रवृत्त हरियाणा भिक्षावृत्ति-निवारण अधिनियम 1971 (1971 का हरियाणा अधिनियम सं० 9) का विस्तार चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए करती है, अर्थात :—

उपांतरण

1. संपूर्ण अधिनियम में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा और किसी ऐसे वाक्य में जिसमें "राज्य सरकार" शब्द आते हैं, ऐसे परिणामिक परिवर्तन भी किए जाएंगे जो व्याकरण के नियमों के अनुसार अपेक्षित हों;

2. धारा 1 की उपधारा (2) में "हरियाणा राज्य" शब्दों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

3. धारा 2 के खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (कक) से पहले निम्नलिखित खंड, (क) के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

'(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है' ;

4. धारा 3 की उपधारा (3) में "दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 61" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 57" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

5. धारा 10 में "दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के अध्याय 42" शब्दों और अंकों के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 33" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

6 धारा 11 में "1898" अंकों के स्थान पर "1973" रखे जाएंगे,

7 धारा 19 में "राज्य" शब्द के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे,

8 धारा 24 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी अर्थात् –

"(1) प्रशासक किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किसी व्यक्ति को वहां से भारत के किसी अन्य भाग में उसी प्रकार की किसी अन्य ऐसी संस्था में स्थानांतरित किए जाने का निदेश दे सकता है, जिसके बारे में उस भाग की सरकार द्वारा उसमें प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वैसे ही उपबंध किए गए हैं, जैसे चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में हैं

परन्तु इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति का भारत के किसी अन्य भाग को स्थानांतरण, किसी राज्य की दशा में राज्य सरकार की और किसी संघ राज्यक्षेत्र की दशा में प्रशासक की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।";

9. धारा 25 में "1890" अंकों के स्थान पर '1960' अंक रखे जाएंगे, और

10. धारा 31 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

उपाबंध

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित हरियाणा भिक्षावृत्ति-निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का हरियाणा अधिनियम सं० 9)

भिक्षा-याचना के निवारण भिक्षुकों और उनके आश्रितों का निरोध प्रमाणित संस्था में भिक्षुकों के प्रशिक्षण तथा नियोजन एवं अपराधी भिक्षुकों की अभिरक्षा उनके विचारण और दंड का उपबंध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ :–(1) यह अधिनियम हरियाणा भिक्षावृत्ति-निवारण अधिनियम, 1971 कहा जा सकता है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर है।

(3) यह ऐसी तिथि को प्रवृत्त होगा, जो प्रशासक अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

2. परिभाषाएं इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है,

(कक) "भिक्षुक" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो भिक्षा-याचना में लगा हुआ पाया जाए,

(ख) "भिक्षा-याचना" से अभिप्रेत है :–

(1) किसी सार्वजनिक स्थान में भिक्षा की याचना या प्राप्ति, चाहे वह गाने, नाचने, भाग्य बताने, करतब दिखाने या वस्तुओं को बेचने जैसे बहाने से या अन्यथा हो,

(2) जीवन निर्वाह का कोई दृश्यमान साधन न रखना और किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसी दशा या रीति में घूमना या रहना, जिससे यह संभाव्य हो जाता है कि इस प्रकार करने वाला व्यक्ति भिक्षा की याचना या प्राप्ति पर रह रहा है,

(3) भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से किन्हीं प्राइवेट परिसरों में प्रवेश करना,

(4) भिक्षा अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से किसी मानव का या किसी जीव-जन्तु का कोई व्रण, घाव, क्षति, विरूपता, अथवा रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना, या

(5) भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजनार्थ स्वयं को प्रदर्शन के रूप में प्रयुक्त किये जाने देना,

परन्तु इसके अन्तर्गत किसी विधि द्वारा प्राधिकृत या विहित रीति में प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिये धन या खाद्य अथवा दान की याचना या प्राप्ति नहीं है,

(ग) "प्रमाणित संस्था" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी संस्था जिसकी व्यवस्था और अनुरक्षण राज्य सरकार भिक्षुकों और उनके आश्रितों के निरोध, प्रशिक्षण तथा नियोजन के लिये करती है तथा इसके अन्तर्गत है, कोई प्रमाणित गृह और विशेष गृह,

(घ) "प्रमाणित गृह" से अभिप्रेत है, प्रशासक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा कुष्ठ से या प्रशासक द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी अन्य संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित भिक्षुकों के प्रवेश और निरोध के लिये किसी उपयुक्त स्थान के रूप में प्रमाणित कोई गृह,

(ङ) "मुख्य निरीक्षक" से अभिप्रेत है धारा 18 के अधीन प्रमाणित संस्थाओं के मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति

(च) "बालक" से अभिप्रेत है पूर्वी पंजाब बालक अधिनियम 1949 के अधीन इस रूप में यथापरिभाषित कोई व्यक्ति,

(छ) "न्यायालय" से अभिप्रेत है किसी दंड के किसी प्रथम मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जो उस क्षेत्र में, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त है, दांडिक अधिकारिता का प्रयोग करता है :

(ज) "संरक्षक" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जो किसी बालक के माता-पिता की अनुपस्थिति या उनकी मृत्यु की दशा में उसका भरण-पोषण या देख-रेख करता है,

(झ) "कारावास" से अभिप्रेत है, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 53 में यथावर्णित कठिन या सादा कारावास,

(ञ) "माता-पिता" से अभिप्रेत है, किसी बालक का पिता या माता,

(ट) "पुलिस अधिकारी" से अभिप्रेत है, कोई पुलिस अधिकारी जो सहायक उप-निरीक्षक की पदवी से नीचे का नहीं है,

(ठ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ड) "परिवीक्षा अधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 13 के अधीन परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त कोई अधिकारी;

(ढ) "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत है, कोई, ऐसा स्थान या उसकी प्रसीमाएं, जिनमें चाहे संदाय पर या अन्यथा जनता की तत्समय पहुंच है या वह पहुंचने के लिये अनुज्ञप्त है तथा इसके अन्तर्गत है, कोई यात्री-बस और कोई रेल-कक्ष;

(ण) "प्रवेश केन्द्र" से अभिप्रेत है, भिक्षुकों के प्रवेश और अस्थायी निरोध के लिए प्रशासक द्वारा उपबन्धित या धारा 13 के अधीन उस रूप में प्रमाणित कोई संस्था,

(त) "विशेष गृह" से अभिप्रेत है, ऐसे भिक्षुकों के, जो शारीरिक श्रम करने के लिये शरीर से असमर्थ हों किन्तु कुष्ठ या अन्यसंक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित न हों, प्रवेश और निरोध के लिये प्रशासक द्वारा उपयुक्त गृह के रूप में अधिसूचित कोई गृह, और

(थ) "अधीक्षक" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, प्रवेश केन्द्र या प्रमाणित संस्था का कोई अधीक्षक।

3. गिरफ्तार करने की शक्ति :—(1) कोई पुलिस अधिकारी या प्रशासक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी भिक्षुक को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है;

परन्तु किसी ऐसे परिसर में, जो सार्वजनिक स्थान नहीं है, भिक्षा-याचना करते हुए पाए जाने वाले किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर के अधिभोगी द्वारा किये गये परिवाद बिना गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और न वह इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का दायी होगा।

(2) ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस प्रकार गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को निकटतम पुलिस थाने में ले जायेगा या भेज देगा;

परन्तु अन्य व्यक्ति, उसे किसी पुलिस अधिकारी को सौंप सकता है, यदि ऐसा करना उसे सुविधापूर्ण प्रतीत हो।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 57 के उपबंध इस धारा के अधीन की गई गिरफ्तारी को लागू होंगे और पुलिस थाने का भार-साधक अधिकारी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को तब तक विहित रीति में रखवाएगा, जब तक उसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता है।

4. निरोध से पूर्व संक्षिप्त जांच :— (1) जहां धारा 3 के अधीन कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष लाया जाता है वहां न्यायालय, इस अभिकथन के बारे में कि वह भिक्षा-याचना हुआ पाया गया था, विहित रीति में संक्षिप्त जांच करेगा।

(2) यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जांच तत्क्षण नहीं की जा सकती, तो न्यायालय उसे समय-समय पर स्थगित कर सकता है और उस व्यक्ति को ऐसे स्थान पर तथा ऐसी अभिरक्षा में, जो सुविधापूर्ण हो, प्रतिप्रेषित करने का आदेश दे सकता है या प्रतिभूओं सहित या उनके बिना जमानत नामे पर निर्मुक्त कर सकता है।

(3) यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जांच करने पर न्यायालय का यह समाधान नहीं होता कि व्यक्ति को भिक्षा-याचना करते हुए पाया गया था तो वह आदेश करेगा कि ऐसे व्यक्ति को तत्क्षण निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

(4) यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जांच करने पर न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति भिक्षा-याचना करते हुए पाया गया था तो वह यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह व्यक्ति भिक्षुक है और तदनुसार उसे सिद्धदोष ठहराएगा।

(5) न्यायालय, उप-धारा (4) के अधीन सिद्धदोष ठहराए गये व्यक्ति को धारा 7 के उपबन्धों के अनुसार किसी प्रमाणित संस्था में, कम से कम एक वर्ष की और अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के लिये निरुद्ध करने का आदेश करेगा :

परन्तु यदि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पुनः भिक्षायाचना की जाने की संभावना नहीं है, तो उसके भिक्षा-याचना से प्रनिरत रहने के लिये न्यायालय की अपेक्षानुसार प्रभूतिभूओं सहित या उनके बिना बंध-पत्र के भिक्षुक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे न्यायालय उपयुक्त समझता है, निष्पादित किये जाने पर सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् न्यायालय उसे निर्मुक्त कर सकता है :

परन्तु यह और कि यदि भिक्षुक अवयस्क है तो बंध-पत्र प्रतिभूओं सहित होगा।

(6) इस धारा के अधीन कोई आदेश करते हुए न्यायालय निम्नलिखित विचारणीय तथ्य ध्यान में रखेगा :—

(क) भिक्षुक की आयु और उसका चरित्र,

(ख) परिस्थितियां और दशाएं, जिनमें भिक्षुक रह रहा है;

(ग) परिवीक्षा अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट, यदि कोई हो; और

(घ) ऐसी अन्य बातें, जिन पर विचार करना न्यायालय की राय में भिक्षुक के हित में अपेक्षित हो।

(7) परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट या न्यायालय द्वारा विचारित कोई अन्य रिपोर्ट गोपनीय मानी जाएगी :

परन्तु यदि ऐसी रिपोर्ट का सम्बन्ध भिक्षुक के चरित्र, स्वास्थ्य या आचरण, अथवा उन परिस्थितियों और दशाओं से है, जिनमें वह रह रहा है, तो न्यायालय, यदि वह ऐसा करना समीचीन समझता है, उसका सार भिक्षुक को, या यदि भिक्षुक आश्रित है तो उसके माता-पिता या संरक्षक को यदि कोई हो, संसूचित कर सकता है और यथोस्थिति भिक्षुक या माता-पिता अथवा संरक्षक को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे सकता है, जो रिपोर्ट में कथित विषयों से सुसंगत हो।

(8) उप-धारा (5) के अधीन किये गये आदेश की प्रति न्यायालय द्वारा मुख्य निरीक्षक को तुरन्त भेजी जाएगी

(9) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, जब यथापूर्वोक्त भिक्षुक पाया गया व्यक्ति बालक है, तब न्यायालय उप-धारा (5) के अधीन कोई आदेश नहीं करेगा किन्तु उस बालक को पूर्वी पंजाब बालक अधिनियम, 1949 के अधीन गठित किसी न्यायालय को उस अधिनियम के अधीन उसके सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु भेज देगा। भिक्षुक की आयु अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ न्यायालय, यदि आवश्यक हो उसका परीक्षण किसी चिकित्सक अधिकारी से करवा सकता है।

5. निरोध के पश्चात भिक्षायाचना करने पर शास्ति :— (1) धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार किसी प्रमाणित संस्था में पहले से ही निरुद्ध कोई व्यक्ति यदि पुनः भिक्षा-याचना करता हुआ पाया जाता है, तो दोषसिद्धि पर इस धारा में एतद्पश्चात यथा उपबन्धित रूप में दण्डनीय होगा।

(2) जब किसी व्यक्ति को दूसरी बार सिद्धदोष ठहराया जाता है, तब न्यायालय उसे किसी प्रमाणित संस्था में कम से कम एक वर्ष की और अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिये निरुद्ध रखने का आदेश करेगा।

(3) जब किसी व्यक्ति को तीसरी या उत्तरवर्ती बार सिद्धदोष ठहराया जाता है, तब न्यायालय उसे प्रमाणित संस्था में पांच वर्ष की अवधि के लिय निरुद्ध रखने का आदेश करेगा और ऐसे निरोध की अधिक से अधिक एक वर्ष की किसी अवधि को कारावास के दण्डादेश में संपरिवर्तित कर सकता है :

परन्तु निरोध और कारावास की यदि कोई हो कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. आश्रितों को निरुद्ध करने की न्यायालय की शक्ति:— (1) जब न्यायालय ने धारा 4 या धारा 5 के अधीन किसी भिक्षुक को किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध रखने का आदेश किया है तब वह ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह उचित समझता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो भिक्षुक पर पूर्णतः आश्रित है उसी अवधि के लिय किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किये जाने का आदेश कर सकता है :

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने से पूर्व यथास्थिति ऐसे आश्रित या उसके माता-पिता या संरक्षक को यदि कोई हो यह हेतुक दर्शित करने का अवसर दिया जायगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए।

(2) जहां आश्रित व्यक्ति पांच वर्ष की आयु से ऊपर का बालक है, वहां न्यायालय उसे पूर्वी पंजाब बालक अधिनियम 1949 के अधीन गठित न्यायालय को उसके संबंध मे तदधीन कार्यवाही हेतु भेज देगा।

7. सुपुर्दगी से पूर्व चिकित्सक अधिकारी की रिपोर्ट:—(1) कोई न्यायालय जो धारा 4 या धारा 5 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषी पाता है, किसी प्रमाणित संस्था को उसकी सुपुर्दगी का कोई दण्डादेश करने से पूर्व ऐसे व्यक्ति की स्थानीय सिविल अस्पताल के भार-साधक चिकित्सक अधिकारी या किसी प्रमाणित संस्था से संलग्न चिकित्सक अधिकारी यदि कोई हो के पास भेजेगा और उसकी आयु के बारे में साधारण या शारीरिक श्रम के लिये उसके शारीरिक सामर्थ्य के बारे में और इसके बारे में रिपोर्ट मंगवाएगा कि क्या वह किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित है।

(2) यदि चिकित्सक अधिकारी प्रमाणित करता है कि उक्त व्यक्ति बालक नहीं है और शारीरिक रूप से साधारण शारीरिक श्रम करने के लिय समर्थ है तथा किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित नही है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति की किसी प्रमाणित संस्था में सुपुर्दगी के लिय आदेश करेगा।

(3) यदि चिकित्सक अधिकारी रिपोर्ट करता है कि उक्त व्यक्ति शारीरिक रूप से साधारण श्रम करने के लिये असमर्थ है परन्तु किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित नहीं है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति की किसी विशेष गृह में सुपुर्दगी के लिये कोई आदेश करेगा।

(4) यदि चिकित्सक अधिकारी रिपोर्ट करता है कि उक्त व्यक्ति किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित है, तो न्यायालय एसे व्यक्ति की किसी प्रमाणित गृह में सुपुर्दगी के लिये कोई आदेश करेगा।

8. प्रमाणित संस्थाओ से निकल भागने के लिये दण्ड:— कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसी प्रमाणित संस्था से जिसमें उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दोषसिद्धि पर सुपुर्द किया गया है, ऐसी अवधि की समाप्ति से पूर्व जिसके लिये उसे सुपुर्द किया गया है निकल भागता है, कारावास से दंडनीय होगा जो तीन मास तक हो सकता है।

9. भिक्षा-याचना हेतु व्यक्तियों को नियोजित करने के लिय प्रशस्ति:—कोई व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति को भिक्षा की

याचना या प्राप्ति करने के लिये नियोजित करता है या उस से ऐसा करवाता है अथवा कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा भारसाधन या देख-रेख में कोई बालक है भिक्षा की याचना या प्राप्ति करने के लिए उस बालक के नियोजन अथवा उससे ऐसा करवाने के संबंध में मौनानुकूल रहता है या प्रोत्साहन देता है अथवा कोई व्यक्ति जो भिक्षा-याचना के प्रयोजन के लिये किसी अन्य व्यक्ति का प्रदर्शन के रूप में उपयोग करता है, दोषसिद्धि पर किसी ऐसी अवधि के लिये कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष तक हो सकती है, किंतु जो कम से कम एक वर्ष होगी।

10. बंधपत्र—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 33 के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन लिये गये बंधपत्रों पर यावतशक्य लागू होंगे।

11. अपील—इस अधिनियम के अधीन किये गये निरोध के किसी आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के भाग 7 में यथा उपबंधित कोई अपील या पुनरीक्षण हो सकेगा। किसी विशिष्ट अवधि के लिये निरोधादेश उसी अवधि के लिये कारावास का दंडादेश समझा जाएगा।

12. निर्मुक्त करने की शक्ति—यदि प्रशासक का किसी समय स्वप्रेरणा पर या उसे किये गये आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि धारा 4 या धारा 5 के अधीन सिद्ध दोष और किसी प्रमाणित संस्था में सुपुर्द किया गया कोई व्यक्ति नीरोग हो गया है या उसका स्वास्थ्य जीविकोपार्जन के लिये उपयुक्त है, अथवा वह उस अवधि की, जिसके लिये उसे सुपुर्द किया गया है समाप्ति से पूर्व उन्मोचित किये जाने के लिये अन्यथा योग्य है, तो प्रशासक आदेश द्वारा निदेश कर सकता है कि इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के यदि कोई हों अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, छोड़ दिया जायेगा।

13. प्रवेश केन्द्र—प्रशासक ऐसे स्थान या स्थानों पर जो वह उचित समझे एक या अधिक प्रवेश केन्द्रों की व्यवस्था कर सकता है या उन्हें बनाये रख सकता है और किसी संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रवेश केन्द्र के रूप में प्रमाणित कर सकता है।

14. प्रमाणित संस्थाएं—(1) प्रशासक ऐसे स्थान या स्थानों पर जो वह उचित समझे एक या अधिक प्रमाणित संस्थाओं की व्यवस्था कर सकता है या उन्हें बनाये रख सकता है और किसी संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रमाणित संस्था के रूप में प्रमाणित कर सकता है। ऐसी कोई प्रमाणित संस्था संत्रासियों को कृषिक-औद्योगिक और अन्य धंधों के शिक्षण के लिये तथा साधारण शिक्षा एवं चिकित्सीय देखरेख के लिये भी व्यवस्था कर सकती है।

(2) प्रत्येक प्रमाणित संस्था और प्रवेश केन्द्र किसी अधीक्षक के भारसाधन में होगा।

15. प्रवेश-केन्द्रों और प्रमाणित संस्थाओं में तलाशी—किसी प्रवेश-केन्द्र का या किसी प्रमाणित संस्था का अधीक्षक आदेश कर सकता है कि प्रवेशकेन्द्र या प्रमाणित संस्था में प्रविष्टि किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी सफाई की जाएगी, उसके निजी सामान का निरीक्षण किया जायेगा और उक्त व्यक्ति के पास मिले किसी धन या मूल्यवान वस्तुओं को ऐसे अधीक्षक की अभिरक्षा में रखा जाएगा तथा धन या मूल्यवान वस्तुओं से भिन्न मिले अन्य सामान का व्ययन विहित रीति में किया जायेगा। जहां किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कोई निरोधादेश किया जाता है, वहां अधीक्षक निदेश कर सकता है कि उक्त व्यक्ति के पास मिले किसी धन या मूल्यवान वस्तुओं का व्ययन विहित रीति में किया जायेगा। जहां किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा निरोध-आदेश से भिन्न कोई आदेश किया जाता है, वहां उसका धन तथा मूल्यवान वस्तुएं उसे वापस कर दी जाएंगी और यदि उसके वस्त्र नष्ट कर दिये गये हों तो उसे नए वस्त्र दिये जायेंगे। ऐसे वस्त्र देने के व्यय प्रशासक द्वारा वहन किए जाएंगे:

परन्तु किसी स्त्री की तलाशी केवल स्त्री द्वारा सम्यक् शिष्टतापूर्वक ली जाएगी।

16. प्रबंध और अनुशासन—इस अधिनियम के अधीन प्रवेश-केन्द्रों और प्रमाणित संस्थाओं में प्रतिप्रेषित या निरुद्ध व्यक्ति, प्रबंध और अनुशासन के, जिनके अन्तर्गत शारीरिक या अन्य कार्य जिसमे लगाना तथा दंड देना भी है, ऐसे नियमों के अधीन होंगे, जो समय-समय पर विहित किए जाएं।

17. अनुशासनिक कारावास—ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन की जा सकने वाली किसी अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक या अधीक्षक किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उस धारा में निर्दिष्ट किसी नियम की जानबूझकर अवज्ञा करता है या उसका अनुपालन करने के संबंध में उपेक्षा करता है, मामले के बारे में न्यायालय को रिपोर्ट कर सकता है, और तदुपरि न्यायालय, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उक्त व्यक्ति ने किसी नियम की जानबूझकर अवज्ञा की है या उसका अनुपालन करने के संबंध में उपेक्षा की है, प्रमाणित संस्था में उसके निरोध की शेष अवधि या उसके किसी भाग को कारावास की किसी अवधि में संपरिवर्तित कर सकता है।

18. मुख्य निरीक्षक और अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये प्रशासक, प्रमाणित संस्थाओं का एक मुख्य निरीक्षक और इतनी संख्या में सहायक निरीक्षक एवं परिवीक्षा अधिकारी, जितने वह मुख्य निरीक्षक की सहायता के लिये उचित समझे, नियुक्त कर सकती है, और मुख्य निरीक्षक की सहायता के लिये इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को मुख्य निरीक्षक की शक्तियां प्राप्त होंगी तथा वह उसके ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो प्रशासक निर्दिष्ट करे किंतु वह मुख्य निरीक्षक के निदेशों के अधीन कार्य करेगा।

(2) प्रत्येक प्रमाणित संस्था का मुख्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार किया जायेगा।

19. एक प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था से किसी अन्य में स्थानांतरण—(1) विहित शर्तों के अधीन रहते हुए मुख्य निरीक्षक, किसी प्रवेश केन्द्र या प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किसी व्यक्ति को वहां से चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में किसी अन्य प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था में स्थानांतरित करने का निदेश कर सकता है:

परन्तु ऐसे व्यक्ति के निरोध की कुल अवधि ऐसे स्थानांतरण द्वारा किसी भी दशा में बढ़ाई नहीं जाएगी।

(2) ऐसे अन्तरण का निदेश करते हुए मुख्य निरीक्षक चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र और प्रशासक या न्यायालय द्वारा धारा 23 के अधीन किये गये निदेशों को, यदि कोई हों, ध्यान में रखेगा।

20. अनुज्ञप्ति पर छोड़ा जाना—(1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं—

(क) मुख्य निरीक्षक या प्रमाणित संस्था का अधीक्षक, किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किसी व्यक्ति को अल्पावधियों के लिये स्वयं को अनुपस्थित रखने की किसी समय अनुज्ञा दे सकता है; और

(ख) मुख्य निरीक्षक, किसी समय ऐसे व्यक्ति को सशर्त छोड़ सकता है और उसके लिये उसे कोई अनुज्ञप्ति दे सकता है।

(2) ऐसी कोई अनुज्ञप्ति उस अवधि की, जिसके लिये संबंध व्यक्ति किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किये जाने के लिये आदिष्ट था, समाप्ति तक प्रवृत्त रहेगी, यदि वह पहले ही प्रतिसंहृत नहीं कर दी जाती।

(3) वह अवधि, जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी प्रमाणित संस्था से यथापूर्वोक्त अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के अनुसार अनुपस्थित है, किसी प्रमाणित संस्था में उसके निरोध की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिये उसके निरोध का भाग समझी जाएगी।

21. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण—(1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, मुख्य निरीक्षक धारा 20 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकता है, और तदुपरि छोड़ा गया व्यक्ति किसी प्रमाणित संस्था में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा, जब तक वह अवधि समाप्त नहीं हो जाती, जिसके लिये उसे निरुद्ध करने का आदेश किया गया था।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिये मुख्य निरीक्षक, यदि आवश्यकता हो, छोड़े गये व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकता है और निकटतम प्रवेश-केन्द्र के निरोध के आदेश की प्रति सहित भिजवा सकता है, और तदुपरि धारा 22 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे।

22. निरोध के आदेश या कारावास के दण्डादेश पर प्रक्रिया—(1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन, जब किसी व्यक्ति को धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध रखने का आदेश किया गया है तब वह न्यायालय जिसने निरोध का आदेश किया था, उसे किसी निकटतम प्रवेशकेन्द्र में निरोध के आदेश की प्रति सहित तत्क्षण भेज देगा। तदुपरि उस व्यक्ति को प्रवेश-केन्द्र के अधीक्षक की अभिरक्षा में सौंप दिया जाएगा और प्रवेश-केन्द्र में तब तक रखा जायेगा जब तक उसे किसी प्रमाणित संस्था में नहीं भेज दिया जाता।

(2) जब ऐसे किसी व्यक्ति को धारा 5 की उपधारा (3) या धारा 17, के अधीन कारावास का दंडादेश भी किया जाता है तब कारावास का दण्डादेश देने वाला न्यायालय उस जेल को, जिसमें उसे परिरुद्ध किया जाना है, तत्क्षण वारंट भेजेगा और उसे ऐसी जेल में वारंट एवं निरोध के आदेश की प्रति सहित भेज देगा। कारावास का दण्डादेश निष्पादित किये जाने के पश्चात् उसे निष्पादित करने वाला अधिकारी, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी प्रमाणित संस्था में निरोध की किसी अवधि को भुगतना शेष है, उसे निरोध के आदेश की प्रति सहित निकटतम प्रवेश-केन्द्र में तत्क्षण भेज देगा और तदुपरि उप-धारा (1) के उपबंध लागू होंगे।

(3) किसी प्रमाणित संस्था में, उस अवधि को, जिसके लिये किसी व्यक्ति को निरुद्ध किये जाने का आदेश किया जाता है, संगणना करने में उस अवधि को भी सम्मिलित किया जायेगा, जिसके दौरान उसे उस धारा के अधीन किसी प्रवेश-केन्द्र में निरुद्ध किया जाता है।

23. कुष्ठ रोगियों और पागलों की चिकित्सकीय परीक्षा तथा उनका निरोध—(1) जहां प्रशासक को यह प्रतीत होता है कि किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किया गया कोई भिक्षुक विकृतचित्त या कुष्ठी है, वहां प्रशासक किसी आदेश द्वारा उस विश्वास द्वारा उस विश्वास के आधार उपवर्णित करता हुआ कि भिक्षुक विकृतचित्त या कुष्ठी है उसका किसी मानसिक चिकित्सालय या कुष्ठाश्रम में या सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य स्थान पर हटाये जाने का आदेश कर सकता है, वह, उसे शेष अवधि के लिए, जिसके लिए उसे निरुद्ध करने का आदेश किया गया है, प्रशासक के निदेशानुसार रखा जायेगा और उसकी चिकित्सा की जायेगी अथवा, यदि उस अवधि की समाप्ति पर किसी चिकित्सक अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि भिक्षुक या दूसरों की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि उसे चिकित्सकीय देख-रेख या उपचार के अधीन आगे के लिये भी निरुद्ध रखा जाना चाहिये, तो उसे तब तक निरुद्ध रखा जायेगा, जब तक उसे विधि के अनुसार छोड़ नहीं दिया जाता।

(2) जहां प्रशासक को यह प्रतीत हो कि भिक्षुक अब विकृतचित्त नहीं रहा या कुष्ठ से निरोग हो गया है, वहां प्रशासक, यदि वह और समय के लिये अभिरक्षा में रखे जाने का दायी नहीं रह गया है तो, उसे छोड़ने का आदेश करेगा। उस दशा में, जिसमें भिक्षुक अभी अभिरक्षा में रखे जाने का दायी है, प्रशासक किसी आदेश द्वारा, उस व्यक्ति को, जिसके

भार-साधन में भिक्षुक है, निदेश करता हुआ उसे उसी प्रमाणित संस्था में, जिसमें से उसे हटाया गया था, भेज देगा।

(3) भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा 31 और कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 की धारा 14 के उपबन्ध, उप-धारा (1) के अधीन किसी मानसिक चिकित्सालय या कुष्ठाश्रम में परिरुद्ध प्रत्येक भिक्षुक को उस अवधि की समाप्ति के बाद जिसके लिये उसे निरुद्ध रखे जाने का आदेश किया गया था लागू होंगे और उस समय की जिसमें किसी भिक्षुक का उस उपधारा के अधीन किसी मानसिक चिकित्सालय या कुष्ठाश्रम में परिरुद्ध किया जाता है उस अवधि के भाग के रूप में गणना की जायेगी, जिसके लिये उसे न्यायालय द्वारा निरुद्ध किये जाने का आदेश किया जा सकता था :

परन्तु जहां चित्तविकृति या कुष्ठ के कारण किसी भिक्षुक का तुरन्त हटाया जाना आवश्यक हो वहां उस संस्था के जिम में भिक्षुक को निरुद्ध रखा गया है; प्राधिकारियों को यथास्थिति भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 या कुष्ठी रोगी अधिनियम 1898 के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय को उसे किसी मानसिक चिकित्सालय या कुष्ठाश्रम में तुरन्त ही सुपुर्द करने के किसी आदेश के लिये आवेदन करने की छूट होगी।

24. प्रमाणित संस्थाओं में परस्पर स्थानान्तरण—(1) प्रशासक किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किसी व्यक्ति को वहां से भारत के किसी अन्य भाग में उसी प्रकार की किसी अन्य ऐसी संस्था में स्थानान्तरित किये जाने का निदेश कर सकता है जिसके बारे में उस भाग की सरकार द्वारा उसमें प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वैसे ही उपबन्ध किये गये हैं जैसे चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में है :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति का भारत के किसी अन्य भाग को स्थानान्तरण किसी राज्य की दशा में राज्य सरकार की और किसी संघ राज्यक्षेत्र की दशा में प्रशासक की सम्मति के बिना नहीं किया जायेगा।

(2) प्रशासक, किसी प्रमाणित संस्था के अधीक्षक के परामर्श किसी ऐसे व्यक्ति को उस संस्था में स्थानान्तरित करने की सम्मति दे सकता है जिसके बारे में भारत के किसी अन्य भाग में इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश की प्रकृति को कोई निरोध का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निदेश देते हुए किया गया हो कि उसे किसी प्रमाणित संस्था या उसी प्रकृति की किसी संस्था में निरुद्ध रखा जाए और ऐसे अन्तरण पर इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे व्यक्तियों को लागू होंगे।

25. पशुओं का अभिग्रहण और उनका व्ययन—(1) भिक्षा-याचना करते हुए पाए गए किसी व्यक्ति को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार करने वाला कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस पशु का अभिग्रहण कर सकता है जिसके व्रण, घाव, क्षति, विरूपता या रोग का ऐसे व्यक्ति ने भिक्षा-याचना या भिक्षा-प्राप्ति के प्रयोजनार्थ अभिदर्शन या प्रदर्शन किया था।

(2) अभिग्रहण करने वाला कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 35 के अधीन नियत किसी अशक्तालय में ऐसे पशु की निरोध के लिये उप-धारा (3) के अधीन न्यायालय का आदेश होने तक हटा सकता है :

परन्तु अन्य व्यक्ति यदि उसे ऐसा करना सुविधाजनक प्रतीत होता है अभिगृहीत पशु को किसी पुलिस अधिकारी को सौंप सकता है।

(3) वह न्यायालय जिसके समक्ष भिक्षा-याचना करता हुआ पाया गया व्यक्ति लाया जाता है निदेश कर सकता है कि पशु का तब तक ऐसे अशक्तालय में उपचार या देख रेख की जाए जब तक वह छोड़े जाने के योग्य नहीं हो जाता या उसे किसी पिंजरापोल में भेजा जाए या यदि उस क्षेत्र का जिसमें पशु पाया जाता है भारसाधक पशु चिकित्सक अधिकारी या ऐसा अन्य पशु चिकित्सक अधिकारी जिसे पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 15 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्राधिकृत किया गया है प्रमाणित कर देता है कि वह नीरोग नहीं हो सकता या क्रूरता के बिना हटाया नहीं जा सकता तो उसे नष्ट किया जायेगा और न्यायालय यह भी आदेश कर सकता है कि अशक्तालय से छोड़े जाने के पश्चात पशु अभिगृहीत कर लिया जाए।

(4) देख रेख या उपचार के लिये किसी अशक्तालय में भेजा गया कोई पशु जब तक कि न्यायालय यह निदेश नहीं करता कि उसे किसी पिंजरापोल में भेजा जाए या उसे नष्ट किया जाए तब तक ऐसे स्थान से उस क्षेत्र के जिसमें अशक्तालय स्थित है भारसाधक पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा या पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 15 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा यह प्रमाणपत्र जारी किये बिना कि वह उन्मोचन के योग्य है छोड़ा नहीं जाएगा।

26. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना—इस अधिनियम की धारा 5 और 9 के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

27. लोक सेवक समझे जाने वाले व्यक्ति —इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य के पालन के लिये समक्त सभी व्यक्ति, भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जायेंगे।

28. परिदर्शक समिति—प्रत्येक प्रमाणित संस्था के लिये प्रशासक ऐसी रीति से जो विहित की जाए एक परिदर्शक समिति नियत करेगा और उसे ऐसी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य सौंपेगा जो विहित किये जाएं।

29. सलाहकार समिति —(1) प्रशासक संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिये संख्या में ग्यारह से अनधिक ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें वह नियुक्त करें एक सलाहकार समिति गठित कर सकता है :

परन्तु जहां कोई स्थानीय प्राधिकरण ऐसी प्रमाणित संस्थाओं को बनाये रखने के लिये जिनमें स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता वाले क्षेत्र के भिक्षुक निरुद्ध है ऐसी वित्तीय सहायता, जिसे प्रशासक प्रत्येक मामले में उचित समझे देने के लिये सहमत हो गया है वहां प्रशासक ऐसे क्षेत्र की सलाहकार समिति में स्थानीय प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले उतने व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जितने वह उचित समझे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी क्षेत्र में गठित सलाहकार समिति या उसका कोई सदस्य सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी ऐसी प्रमाणित संस्था का परिदर्शन कर सकता है जिसमें उस क्षेत्र के भिक्षुक निरुद्ध हैं।

(3) सलाहकार समिति—

(क) किसी प्रमाणित संस्था को मुख्य निरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी के माध्यम से जिसे प्रशासक विनिर्दिष्ट करे प्रबन्ध के विषय में सलाह दे सकता है;

(ख) स्थानीय क्षेत्र के भीतर की किन्ही या सभी प्रमाणित संस्थाओं या उस प्रमाणित संस्था के जिसमें उस क्षेत्र के भिक्षुक निरुद्ध हैं आवर्ती एवं अनावर्ती व्ययों के प्रति चन्दे भी इकट्ठे कर सकती है और इकट्ठे किये गये चन्दों को विहित रीति से बांट भी सकती है;

(ग) संबद्ध क्षेत्र के भीतर प्रमाणित संस्था के रूप में किसी संस्था के प्रमाणन या किसी प्रमाणित संस्था के अप्रमाणन के बारे में प्रशासक को मुख्य निरीक्षक के माध्यम से सलाह दे सकती है,

(घ) प्रशासक को साधारणतया उस क्षेत्र मे इस अधिनियम के कार्यकरण पर और विशिष्टतया मुख्य निरीक्षक या प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी विषय पर सलाह दे सकती है ।

30. सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशायित किसी बात के लिये कोई भी वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य का पालन करने के लिये सशक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध नही हो सकेगी ।

31. नियम बनाने की शक्ति—प्रशासक, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकता है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिये उपबन्ध कर सकते हैं—

(क) धारा 2 के खंड (घ) के अधीन किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने की रीति;

(ख) क्रमशः धारा 3 की उपधारा (1) या धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों या अभिगृहीत पशुओं को रखने की रीति :

(ग) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन संक्षिप्त जांच करने की रीति;

(घ) रीति जिससे, और स्थान जहां पर, धारा 5 और धारा 17 के अधीन दण्डादिष्ट व्यक्ति कारावास की अवधि बितायेंगे;

(ङ) भिक्षुओं की चिकित्सकीय परीक्षा की रीति;

(च) रीति, जिसमें धारा 15 में निर्दिष्ट सामान और धन तथा मूल्यवान वस्तुओं का व्ययन किया जायगा ;

(छ) प्रमाणित संस्थाओं का प्रबन्ध, उनमें सुपुर्द किये गये व्यक्तियों का निरोध और ऐसे व्यक्तियों का भरण पोषण, देख-रेख, उपचार तथा शिक्षा, जिसके अन्तर्गत उनके श्रम और सामान्य आचरण से सम्बन्धित सभी विषय हैं;

(ज) किसी प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था में निरुद्ध व्यक्तियों का प्रबन्ध और अनुशासन, जिसके अन्तर्गत श्रमसाध्य या अन्य कार्य का सौंपा जाना तथा इस खंड के अधीन बनाये गये किसी नियम के भंग के लिये दंड देना है;

(झ) धारा 18 के अधीन नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(ञ) शर्तें, जिनके अध्यधीन मुख्य निरीक्षक किसी व्यक्ति को धारा 19 के अधीन स्थानान्तरण का निदेश कर सकता है;

(ट) शर्तें, जिनके अध्यधीन किसी व्यक्ति को धारा 20 के अधीन अनुज्ञप्ति पर छोडा जा सकता है;

(ठ) शर्तें, जिनके अध्यधीन किसी अनुज्ञप्ति को धारा 21 के अधीन प्रतिसंहृत किया जा सकता है;

(ड) प्रमाणित संस्थाओं में से व्यक्तियों का उन्मोचन;

(ढ) प्रमाणित संस्थाओं में निरुद्ध व्यक्तियों पर, किन्हीं नियमों के भंग के लिये या ऐसी संस्थाओं से बाहर, ऐसा नियोजन जो उन्हें दिलाया जाये, स्वीकार करने में असफल होने या उपेक्षा करने पर अधिरोपित किये जाने वाले दंड की प्रकृति, प्रसंगतियां तथा अधिकतम अवधियां;

IndiaCode

(ण) धारा 28 के अधीन किसी परिदर्शक समिति की नियुक्ति की रीति और उसकी शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य;

(त) परिदर्शक और सलाहकार समितियों की नियुक्ति तथा ऐसी समितियों की शक्तियां, कर्तव्य एवं कृतियों का सौंपा जाना; और

(थ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये किसी नियम में उपबन्ध किया जा सकता है कि उसका उल्लंघन कारावास से, जो एक मास तक हो सकता है या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

32. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है तो प्रशासक, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसा उपबन्ध या ऐसा निदेश कर सकता है, जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

[सं० यू-11015/1/83-यू० टी० एल० (157)]

आर० वी० पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 1984

G.S.R. 311(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Haryana Prevention of Beggary Act, 1971 (Haryana Act No. 9 of 1971) as in force in the state of Haryana at the date of this notification, subject to the following modifications, namely:—

MODIFICATIONS

1. Throughout the Act, for the words "State Government" the words "Administrator" shall be substituted and there shall also be made in any sentence in which the words "State Government" occur, such consequential changes as the rules of grammar may require;

2. In section 1, in sub-section (2), for the words "State of Haryana", the words "Union Territory of Chandigarh" shall be substituted;

3. In section 2, clause (a) shall be re-lettered as clause (aa) and before clause (aa) so re-lettered, the following clause shall be inserted as clause (a) namely :—

"(a) "Administrator" means the Administrator of the Union Territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution."

4. In section 3, in sub-section (3), for the words and figures "section 61 of the Code of Criminal Procedure, 1898", the words and figures "section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1973" shall be substituted;

5. In section 10 for the words and figures "Chapter XLII of the Code of Criminal Procedure, 1898" the words and figures "Chapter XXXIII of the Code of Criminal Procedure, 1973" shall be substituted;

6. In section 11, for the figures "1898" the figures "1973" shall be substituted;

7. In section 19, for the word "State", the words "Union Territory of Chandigarh" shall be substituted;

8. In section 24, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) the Administrator may direct any person detained in a Certified Institution to be transferred therefrom to any Institution of a like nature in any other part of India in respect of which provision similar to that in the Union Territory of Chandigarh is made by the Government of that part under any law in force therein :

Provided that no person shall be transferred under this section to any part of India without the consent of the State Government in the case of a State and the Administrator in the case of a Union Territory."

9. In section 25, for the figure "1890", the figure "1960" shall be substituted; and

10. In section 31, sub-section (4) shall be omitted.

ANNEXURE

The Haryana Prevention of Beggary Act, 1971 (Haryana Act No. 9 of 1971) as Extended to the Union Territory of Chandigarh.

An Act to provide for the prevention of begging, detention, training and employment of beggars and their dependents in Certified Institution and the custoday, trial and punishment of beggar offenders.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twenty-Second Year of the Republic of India, as follows :—

1. Short title extent and commencement.—(1) This Act may be called the Haryana Prevention of Beggary Act, 1971.

(2) It extends to the whole of the Union Territory of Chandigarh.

(3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires :—

(a) "Administrator" means the Administrator of the Union Territory of Chandigarh ap-

pointed by the President under article 239 of the Constitution".

(aa) "beggar" means any person who is found begging ;

(b) "begging" means—

(i) soliciting or receiving alms in a public place whether or not under any pretence, such as singing, dancing, fortune-telling, performing tricks or selling articles ;

(ii) having no visible means of subsistence and wandering about or remaining in any public place in such condition or manner as makes it likely that the person doing so exists by soliciting or receiving alms;

(iii) entering on any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms;

(iv) exposing or exhibiting with the object of obtaining of extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease whether of a human being or of an animal; or

(v) allowing oneself to be used as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms ;

but does not include soliciting or receiving money or food or gifts for a purpose authorised by any law. or authorised in the manner prescribed;

(c) "Certified Institution" means any institution which the Administrator provides and maintains for the detention, training and employment of beggars and their dependents and includes a Certified Home and Special Home ;

(d) "Certified Home" means a home certified by the Administrator or by any subordinate authority empowered by it in this behalf to be a fit place for the reception and detention of beggars, suffering from leprosy or any other infectious or contagious disease notified in this behalf by the Administrator;

(e) "Chief Inspector" means the person appointed to be the Chief Inspector of Certified Institutions under Section 18 ;

(f) "Child" means a person as defined under the East Punjab Children Act, 1949 ;

(g) "Court" means the court of a Judicial Magistrate of any class exercising criminal jurisdiction in the area in which this Act is in force ;

(h) "Guardian" means a person who looks after or takes care of a child in the absence of, or in the event of the death of his parents;

(i) "imprisonment" means rigorous or simple imprisonment as described in section 53 of tho Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860);

(j) "Parent" means the father or the mother of a child;

(k) "Police Officer" means a police officer not below the rank of an Assistant Sub-Inspector;

(l) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "Probation Officer" means an officer appointed to be a Probation Officer under Section 18 ;

(n) "public place" means and includes any place or precincts thereof to which for the time being the public have or are permitted to have an access, whether on payment or otherwise and includes a passenger bus and a railway compartment ;

(o) "Reception Centre" means an institution for the reception and temporary detention of beggars provided by the Administrator or certified to be such under section 13;

(p) "Special Home" means a home notified by the Administrator as suitable for the reception and detention of beggars, not physically capable of doing manual labour but not suffering from leprosy or any other infectious or contagious disease; and

(q) "Superintendent" means a Superintendent of a Reception Centre or a Certified Institution as the case may be.

3. Power to arrest.—(1) Any Police Officer or other person authorised in this behalf by the Administrator may arrest without warrant any beggar :

Provided that no person found begging on any premises, not being a public place, shall be so arrested or shall be liable to any proceedings under this Act except on a complaint made by the occupier of such premises.

(2) Such Police Officer or other person shall take or send the person so arrested to the nearest police station :

Provided that the other person may hand him over to a police officer if he finds it convenient.

(3) The provisions of Section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall apply to arrest made under this section and the officer-in-charge of the police station shall cause the arrested person to be kept in the prescribed manner until he is brought before a court.

4. Summary inquiry before detention.—(1) Where a person is brought before a court under Section 3, the court shall make a summary inquiry in the prescribed manner as regards the allegation that he was found begging.

IndiaCode

(2) If the inquiry referred to in sub-section (1) cannot be completed forthwith, the court may adjourn it from time to time and order the person to be remanded to such place and custody as may be convenient or release him on a bail bond, with or without sureties.

(3) If on making the inquiry referred to in sub-section (1), the court is not satisfied that the person was found begging it shall order that such person be released forthwith.

(4) If, on making the inquiry referred to in sub-section (1) the court is satisfied that such person was found begging it shall record a finding that the person is a beggar and convict him accordingly.

(5) The court shall order the person convicted under sub-section (4) to be detained in a Certified Institution in accordance with the provisions of section 7 for a period of not less than one year and not more than two years:

Provided that if the court is satisfied from the circumstances of the case that such person is not likely to beg again, it may release him after due admonition on a bond for his abstaining from begging, being executed with or without sureties, as the court may require, by the beggar or any other person whom the court considers suitable :

Provided further that if the beggar is a minor, the bond shall be with sureties.

(6) In passing an order under this section, the court shall have regard to the following considerations :—

(a) the age and character of the beggar;

(b) the circumstances and conditions in which the beggar is living;

(c) report , if any, made by the Probation Officer; and

(d) such other matters as may, in the opinion of the court, require to be taken into consideration in the interest of the beggar.

(7) The report of the Probation Officer or any other report considered by the court shall be treated as confidential :

Provided that if such report relates to the character, health or conduct of, or the circumstances and conditions in which the beggar is living, the court may if it thinks expedient so to do communicate the substance thereof to the beggar or, if the beggar is dependent to his parent or guardian, if any, and may give the beggar or the parent or guardian, as the case may be, an opportunity of producing evidence which may be relevant to the matters stated in the report.

(8) A copy of the order made under sub-section (5) shall be sent forthwith by the court to the Chief Inspector.

(9) Notwithstanding anything contained in this section, when the person found to be a beggar as aforesaid is a child, the court shall not make any order under sub-section (5) but forward the child to a court constituted under the East Punjab Children Act, 1949, for being dealt with under that Act. For the purpose of ascertaining the age of the beggar, the court may, if necessary, cause him to be examined by a medical officer.

5. Penalty for begging after detention.—(1) Whoever having been previously detained in a Certified Institution in accordance with the provisions of section 4 is found begging again shall on conviction be punishable as is hereinafter provided in this section.

(2) When a person is convicted for the second time the court shall order him to be detained in a Certified Institution for a period not less than one year and not more than three years.

(3) When a person is convicted for the third or subsequent time, the court shall order him to be detained for a period of five years in the Certified Institution and may convert any period of such detention, not exceeding one year, into a sentence of imprisonment :

Provided that the total period of detention and imprisonment, if any, shall not exceed five years.

Power of court to detain dependents.—(1) When the court has ordered the detention of a beggar in a Certified Institution under Section 4 or Section 5, it may after making such inquiry as it thinks fit, order any person who is wholly dependent on such beggar to be detained in a Certified Institution for a like period :

Provided that before such an order is made such dependent or his parents or guardian, if any, as the case may be, shall be given an opportunity of showing cause why it should not be made.

(2) Where the dependent person is a child above the age of five years, the court shall forward him to a court constituted under the East Punjab Children Act, 1949, for being dealt with thereunder.

7. Report of Medical Officer before committal.—(1) The court which finds a person to be guilty under section 4 or section 5 shall, before passing any sentence of his committal to a Certified Institution, send such person to the medical officer incharge of the local civil hospital or to the medical officer attached to a Certified Institution, if any, and call for a report above his age, physical capacity for ordinary manual labour and also whether he is suffering from any infectious or contagious disease.

(2) If the medical officer certifies that the said person is not a child, is physically capable of ordinary manual labour and is not suffering from any infectious or contagious disease, the court shall pass a sentence for a committal of such person to a Certified Institution.

(3) If the medical officer reports that the said person is physically incapable of ordinary manual labour but is not suffering from any infectious or contagious disease, the court shall pass a sentence for committal of such person to a Special Home.

(4) If the medical officer reports that the said person is suffering from any infectious or contagious

disease, the court shall pass a sentence for committal of such person to a Certified Home.

8. Punishment for escape from Certified Institution.—Wherever escapees, from a Certified Institution to which he has been committed on conviction under the provisions of this Act befo.e the expiry of the period for which he has been committed, shall be puishable with imprisonment which may extend to three months.

9. Penalty for employing persons for begging.—Whoever employs or causes any person to solicit or receive alms, or whoever having the custody, charge or care of a child, connives at or encourages the employment or the causing of a child to solicit or receive alms or whoever uses another person as on exhibit for the purpose of begging, shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to three years but which shall not be less than one year.

10. Bonds.—The provisions of Chapter XXXIII of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall so far as may be, apply to bonds taken under this Act.

11. Appeal.—An appeal or revision shall lie as provided in Part VII of the Code of Criminal Procedure, 1973, from any order of detention made under this Act. The period of detention shall be deemed to be a sentence of imp isonment for the same period.

12. Power to relase.—If the Administrator of any time, of its own motion or on application made to it, is satisfied that a person convicted under section 4 or section 5 and committed to a Certified Institution has been cured of the disease or is in a fit state of health to earn his living or is otherwise fit to be discharged before the expiry of the period for which he has been committed, the Administrator may by order, direct that the person so detained shall be released subject to such restrictions and conditions, if any, as may be specified in the order.

13. Reception Centres.—The Administrator may provide and maintain one or more Reception Centres at such place or places as it thinks fit, and may certify any insti ution to be a Reception Centre for the purposes of this Act.

14. Certified Institution.—(1) The Administrator may provide and maintain one or more Certified Institutions at such place or places as it thinks fit, and may certify any institution to be a Certified Institution for the purposes of this Act. Any such Certified Institution may also provide for the teaching of agricultural, industrial and other pursuits, and for the general education and medical care of the inmates.

(2) Every Certified Institution and Reception Centre shall be under the charge of a Supe.intendent.

15. Search in Reception Centres and Certified Institutions.—The Superintendent of a Reception Centre or a Certified Instiution may order that any person received in the Reception Centre or Certified Institution shall be searched, cleansed, that his personal effects shall be inspected, and that any money or valuables found with or on the said person shall be kept in the custody of such Superintendent, and that any effects other than money or valuables so found shall be disposed of in the prescribed manner. Where an order of detention is passed by the court against any such person, the Superintendent may order that any money or valuables found with or on the said person shall be disposed of in the prescribed manner. Where the court passes an order other than an order of detention with regard to any such person, his money and valuable shall be returned to him and if his clothing has been dest.oyed, he shall be provided with fresh clothing. The expenses of providing such clothing shall be borne by the Administrator :

Provided that a female shall be searched only by a female with due decency.

16. Management and discipline.—Persons remanded to, or detained in, Reception Centres and Certified Institutions under this Act shall be subject to such rules of management and discipline including the imposition of manual or other work and awarding of punishment as may, from time to time, be prescribed.

17. Disciplinary imprisonment.—Without prejudice to any disciplinary action that may be taken under the section immediately preceding, the Chief Inspector, the Inspector or Superintendent may report to the court the case of any person detained in a Certified Institution who wilfully disobeys or neglects to comply with any rule referred to in that section; and the court may thereupon, if satisfied that the said person has wilfully disobeyed or neglected to comply with any such rule, convert the balance of the period of his detention in a Certified Institution or part thereof into a term of imprisonment.

18. Appointment of Chief Inspector and other authorities.—(1) For carrying out the purposes of this Act the Administrator may appoint a Chief Inspector of Certified Institutions, Inspectors and such number of Assistant Inspectors and Probation Officers as it thinks fit to assist the Chief Inspector, and every person so appointed toassist the Chief Inspector, shall have the powers, and perform such of the duties of the Chief Inspector, as the Administrator may direct, but shall act under the directions of the Chief Inspector.

(2) Every Certified Institution shall, at least once in every six months, be inspected by the Chief Inspector.

19. Transfer from one Reception Centre or Certified Institution to another.—(1) Subject to conditions prescribed, the Chief Inspector may direct any person detained in a Reception Centre or Certified Institution to be transferred therefrom to another Reception Centre or Certified Institution in the Union Territory of Chandigarh :

Provided that the total period of detention of such person shall in no case be increased by such transfer.

(2) In directing such transfer the Chief Inspector shall have regard to the medical certificate and the directions, if any, made by the Administrator, or court under section 23.

20. Release on licence.—(1) Subject to such conditions as may be prescribed—

(a) the Chief Inspector or the Superintendent of the Certified Institution may at any time grant permission to a person detained in a Certified Institution to absent himself for short periods, and

(b) the Chief Inspector may at any time release such person conditionally and issue him a licence therefor.

(2) Any such licence shall be in force until the expiry of the term for which the person was ordered to be detained in a Certified Institution, unless sooner revoked.

(3) The period during which such person is absent from a Certified Institution by permission or by licence as aforesaid shall, for the purpose of computing his term of detention in a Certified Institution, be deemed to be part of his detention.

21. Revocation of licence.—(1) Subject to such conditions as may be prescribed, the Chief Inspector may be at any time, revoke licence issued under section 20, and thereupon the released person shall be detained in a Certified Institution until the expiry of the term for which he had been ordered to be detained.

(2) For the purpose of this section the Chief Inspector may if necessary, cause the released person to be arrested and sent to the nearest Reception Centre together with a copy of the order of detention, and thereupon the provisions of sub-section (1) of Section 22 may apply.

22. Procedure on order of detention or sentence of imprisonment.—(1) Subject to the provisions of sub-section (2) when a person has been ordered to be detained in a Certified Institution under Section 4, section 5 or Section 6, the court which ordered the detention shall forthwith forward him to the nearest Reception Centre with a copy of the order of detention. The person shall thereupon be handed over to the custody of the Superintendent of the Reception Centre and shall be detained in the Reception Centre until he is sent therefrom to a Certified Institution.

(2) When any such person has also been sentenced to imprisonment under sub-section (3) of Section 5, or Section 17, the court passing the sentence of imprisonment shall forthwith forward a warrant to a jail in which he is to be confined and shall forward him to such jail with the warrant together with a copy of the order of detention. After the sentence of imprisonment is fully executed, the officer executing it shall, if detention in a Certified Institution for any period remains to be undergone by such person, forward him forthwith together with a copy of the order of detention to the nearest Reception Centre, and thereupon the provisions of sub-section (1) shall apply.

(3) In computing the period for which a person is ordered to be detained in a Certified Institution there shall be included the period for which he is detained in a Reception Centre under this Section.

23. Medical Examination and detention of leprosy patients and lunatics.—(1) Where it appears to the Administrator that any beggar detained in a Certified Institution under any order of a court is of unsound mind or is a leper, the Administrator may by any order setting forth the grounds of belief that the beggar is of unsound mind or a leper order his removal to a mental hospital or leper asylum or other place of safe custody, there to be kept and treated as Administrator directs during the remainder of the term for which he has been ordered to be detained or, if on the expiration of that term it is certified by a medical officer that it is necessary for the safety of the beggar or of others the he should be further detained under medical care or treatment, he should be detained until he is discharged according to law.

(2) Where it appears to the Administrator that the beggar has ceased to be of unsound mind, or is cured of leprosy, the Administrator shall, if he is no longer liable to be kept in custody, order him to be discharged. In case the beggar is still liable to be kept in custody the Administrator shall, by an order directed to the person having charge of the beggar, send him to the Certified Institution from which he was removed.

(3) The provisions of Section 31 of the Indian Lunacy Act, 1912, and the provisions of Section 14 of the Lepers Act, 1898, shall apply to every beggar confined in a mental hospital or leper asylum under sub-section (1) after the expiration of the period for which he was ordered to be detained; and the time during which a beggar is confined in a mental hospital or leper asylum under that sub-section shall be reckoned as part of the period for which he may have been ordered by the Court to be detained :

Provided that where the removal of a beggar due to unsoundness of mind or leprosy is immediately necessary, it shall be open to the authorities of the institution in which the beggar is detained to apply to a court having jurisdiction under the Indian Lunacy Act, 1912, or the Lepers Act, 1898, as the case may be, for an immediate order of his committal to a mental hospital or a leper asylum.

24. Transfer between Certified Institutions.—(1) The Administrator may direct any person detained in a Certified Institution to be transferred therefrom to any Institution of a like nature in any other part of India in respect of which provision similar to that in the Union Territory of Chandigarh is made by the Government of that part under any law in force therein :

Provided that no person shall be transferred under this section to any part of India without the consent of the State Government in the case of a State and the Administrator in the case of a Union Territory.

(2) The Administrator may, in consultation with the Superintendent of any Certified Institution consent to the transfer to that Institution of any person in respect of whom an order of detention has been made by a competent authority in any other part of India of the nature of an order made under this Act directing him to be detained in a Certified Institution or Institution of a like nature and upon such transfer the provisions of this Act shall apply to such persons.

25. Seizure and disposal of animals.—(1) Any police officer or other person effecting under sub-section (1) of section 3, the arrest of a person who was found begging may seize any animal the sore, wound, injury, deformity or disease of which was exposed or exhibited by such person with the object of soliciting or receiving alms.

(2) The Police Officer or other person effecting the seizure may remove such animal to any infirmary appointed under section 35 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, for detention therein pending orders of the Court under sub-section (3) :

Provided that the other person may hand over the seized animal to a police officer if he finds it convenient.

(3) The court before which the person found begging is brought may direct that the animal shall be treated and cared for in such infirmary until it is fit for discharge or that it shall be sent to a pinjrapole, or if the veterinary officer in charge of the area in which the animal is found or such other veterinary officer as has been authorised by the rules made under section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, certified that it is incurable or cannot be removed without casualty, that it shall be destroyed ; and the court may also order that after release from the infirmary the animal may be confiscated.

(4) An animal sent for care and treatment to any infirmary shall not, unless the court directs that it shall be sent to a pinjrapole or that it shall be destroyed, be released from such place except upon a certificate of its fitness for discharge issued by the veterinary officer inchrge of the area in which the infirmary is situated or such other veterinary officer as has been authorised by rules made under section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960.

26. Offences to be cognizable and non-bailable.—The offences under sections 5 and 9 of this Act shall be cognizable and non-bailable.

27. Persons to be deemed public servants.—All persons empowered to perform any function under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860).

28. Visiting Committee.—For every Certified Institution, the Administrator shall appoint a Visiting Committee in such manner as may be prescribed and assign such powers, duties and functions to the Committee as may be prescribed.

29. Advisory Committee.—(1) The Amidnistrato, may , for the whole or any part of the Union Territory, constitute an Advisory Committee consisting of such persons, not exceeding eleven in number, as it may appoint :

Provided that, where a local authority has agreed to render such financial assistance as the Administrator may consider proper in each case, for the maintenance of Certified Institutions in which beggars from the area subject to the jurisdiction of the local authority are detained, the Administrator shall appoint such number of persons as it deems fit on the Advisory Committee for such area representing the local authority.

(2) The Advisory Committee constituted under sub-section (1) in any area, or a any member thereof, may visit at all reasonable times any Certified Institution, in which beggars from that area are detained.

(3) The Advisory Committee may also,—

(a) tender advice as regards management to any Certified Institution through the Chief Inspector or such other officer as the Administrator may specify;

(b) collect subscriptions towards the recurring as well as non-recurring expenses of any or all Certified Institutions within the local area or one in which beggars from that area are detained, and disburse the collections in the prescribed manner;

(c) advise the Administrator, through the Chief Inspctor, as regards the certification of any institution as a Certified Institution or the decertification of any Certified Institution within the area;

(d) advise the Administrator generally on the working of this Act in that area and particularly on any point referred to it by the Chief Inspector or any other officer specified by the Administrator.

30. Protection of action taken under this Act.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person empowered to perform any function under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

31. Power to make rules.—(1) The Administrator may by notification and subject to the condition of previous publication make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may be provide for,—

(a) the manner of authorising a purpose under clause (a) of section 2;

(b) the manner of keeping persons arrested or animals seized under sub-section (1) of section 3 or sub-section (1) of section 25, respectively ;

(c) the manner of making summary inquiry under sub-section (1) of section 4;

(d) the manner in which and the place at which the persons sentenced under section 5 and section 17 shall serve their periods of imprisonment;

(e) the manner of medical examination of beggars;

(f) the manner in which the effects and the money and valuables referred to in section 15 shall be disposed of;

(g) the management of Certified Institutions, the detention of persons committed to them and the maintenance, care, treatment and instructions of such persons including all matters relating to their labour and general conduct;

(h) the management and discipline of persons detained in a Reception Centre or Certified Institution including the imposition of manual or other work and the awarding of punishment for breach of any rule made unedr this clause;

(i) the powers and duties of the officers appointed under section 18;

(j) the conditions subject to which the Chief Inspector may direct transfers under section 19;

(k) the conditions subject to which a person may be released on licence under section 20;

(l) the conditions subject to which a licence may be revoked under section 21;

(m) the discharge of persons from Certified Institutions;

(n) the nature, incidents and maximum periods of the punishment to be imposed on persons detained in Certified Institutions for breach of any rules or for failure or neglect to accept any employment outtside such in institutions which may be secured for them;

(o) the manner of appointing a Visiting Committee under section 28 and the powers, duties and functions thereof;

(p) the appointment of Visiting and Advisory Committees and assignment of powers, duduties and functions of such committees; and

(q) any other matter which has to be or may be prescribed.

(3) Any rule made under this section may provide that a contravention thereof shall be punishable with imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

32. Removal of difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Administrator may by order published in the Official Gazette make such provisions or give such direction as appears to him to be necessary for removing such difficulty.

[No. U-11015/1/83-UTL(157)]

R. V. PILLAI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984